आई सी एम आर – राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
ICMR - National Institute for Tribal Health Research, Jabalpur
Department of Health Research,
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

सं. राजस्वाअसं/हिंदी प्रकोष्ठ/416 /2026 दिनांक : 02.07.2026

- 2 JUL 2026

परिपत्र

परिषद मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश फा.क्र.20/01/2001 – हिंदी दिनांक 10.06.2026 अवलोकनार्थ एवं पालनार्थ हेतु संलग्न है, वर्णित कार्यालय आदेश में परिषद मुख्यालय और इसके संस्थानों/केंद्रों में राजभाषा नीति से संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है जिनका अनुशरण एवं नियमबद्ध बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

अतः, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं ताकि संसदीय राजभाषा समिति के साथ होने वाली निरीक्षण बैठकों में समिति के समक्ष परिषद की छवि धूमिल न हो।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अभिषेक सराफ)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रति,

संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-मेल पर सूचनार्थ

प्रतिलिपि :

1. निदेशक कार्यालय – सूचनार्थ/ ई-मेल पर भेजने हेतु।
2. समस्त सूचना-पटल
3. श्री दीपांशु भाटिया, टी.ए.(कम्प.विज्ञा.), संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

icmr E-1329108, 24/06/26

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पोस्ट बॉक्स
No- 4911
अंसारीनगर, नई दिल्ली-110029, भारत
Tel: +91-11-26588895, 26588980, 26589794

V. Ramalingaswami Bhawan, PO Box
Ansari Nagar, New Delhi-110029, India
Fax: +91-11-26588662, icmr.nic.in

फा. सं. [illegible]-हिंदी
दिनांक : [illegible]

कार्यालय आदेश

विषय : परिषद मुख्यालय और इसके संस्थानों/केंद्रों में राजभाषा नीति से संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा हाल ही में परिषद के कई अधीनस्थ संस्थानों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया है कि परिषद के अधीन संस्थानों/केंद्रों में राजभाषा हिंदी से संबंधित आदेशों/अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन नहीं हो रहा है। संसदीय राजभाषा समिति ने इस बात को गंभीरता से लिया है। सभी संस्थान प्रमुखों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने संस्थान में निम्न बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3) के तहत बताए गए **14 प्रकार के दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से** एक साथ जारी किए जाएं।
2. कार्यालय में प्रयोग में लाए जा रहे **लोगो, नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्र-शीर्ष और लिफाफों और लेखन सामग्री आदि के शीर्षकों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं** में लिखा जाए।
3. संस्थान के प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार जारी किए जाने वाले **कार्यालय आदेश को व्यक्तिशः आदेश के रूप में जारी किया जाए** अर्थात उसका शीर्षक कार्यालय आदेश के स्थान पर **व्यक्तिशः आदेश** होना चाहिए।
4. कार्यालय प्रमुख अर्थात निदेशक/निदेशक-प्रभारी की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में निर्धारित अंतराल पर **नियमित बैठक** आयोजित की जाए। इसके साथ ही सभी कार्यालय प्रमुख/**निदेशक** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में **स्वयं अनिवार्य रूप से भाग लें।**
5. रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के **प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में लिखें जाएं और प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जाएं।**
6. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी** में ही दिए जाएं। 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालय या राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जाएं एवं **लिफाफों पर पते भी हिन्दी में** लिखे जाएं।
7. राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा हेतु **तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप एवं सही आंकड़ों** के साथ प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के **15 दिन के भीतर** परिषद मुख्यालय को भिजवाई जाए। **इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।**
8. हिंदी में काम करने में कार्मिकों की मनोवृत्ति बदलने और झिझक दूर करने और कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रत्येक तिमाही में एक **हिन्दी कार्यशाला/कंप्यूटर कार्यशाला का आयोजन** किया जाए और भाग लेने वाले कार्मिकों को सहायक साहित्य उपलब्ध करवाए जाएं।
9. संघ की राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन और हिंदी कार्य के निष्पादन हेतु जिन कार्यालयों में स्थाई/नियमित हिंदी संबंधी पद नहीं है, वे अस्थाई या संविदात्मक आधार पर **कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव** तैयार करें तथा तत्काल रूप से उक्त प्रस्ताव को **वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन** हेतु परिषद मुख्यालय को भेजा जाए।
10. प्रत्येक कार्यालय की **वेबसाइट अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार** करवाई जाए और वेबसाइट पर जो भी सामग्री अपलोड की जाती है, उसे द्विभाषी रूप में अपलोड किया जाए। यह अनिवार्य है।
11. पदों की भर्ती संबंधी विज्ञापन, विवरण-पत्र और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले **आमंत्रण-पत्र (call letter) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में** जारी किए जाएं। यह स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार **परीक्षा एवं साक्षात्कार में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग** अपनी इच्छानुसार कर सकता है। साथ ही, उसे लिखित रूप में परीक्षा का माध्यम एवं साक्षात्कार का माध्यम; हिन्दी या अंग्रेजी चयन करने की छूट दी जाए।

(Sh. Sarthak Sohi)

संस्थानों/केंद्रों में कार्यरत अवर/प्रवर श्रेणी लिपिकों एवं सहायकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से हिंदी प्रशिक्षण दिलवाया जाए। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यसाधक हैं, उन्हें हिंदी में प्रवीण बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाए।

13. जिन संस्थानों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है, उक्त संस्थानों/केंद्रों को निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचित किए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई शुरु करें।

अतः, परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशकों/निदेशक-प्रभारी द्वारा इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपने-अपने संस्थान में राजभाषा विभाग द्वारा ज़ारी वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं ताकि संसदीय राजभाषा समिति के साथ होने वाली निरीक्षण बैठकों में समिति के समक्ष परिषद की छवि धूमिल न हो।

(विवेक कुमार दक्ष)
वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

निदेशक/निदेशक-प्रभारी,
परिषद के सभी स्थाई संस्थान/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि</u>:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि. वित्त सलाहकार – कार्यालय।
2. परिषद मुख्यालय के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी-अपने संस्थानों/केंद्रों में उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएं एवं अधिक से अधिक पत्राचार हिंदी में किया जाए।